मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

पंजीकृत डाक से

क्रमांक 193-208 /जीचिअ/मप्रप्रनिबो/2016, भोपाल, दिनांक 16/11/16

प्रति,

✓ सी. बी. डब्ल्यू. टी. फेसिलिटीस
(संलग्न सूची अनुसार)

विषय :- आपके द्वारा संचालित संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ठ उपचार व्यवस्था के साथ सतत् उत्सर्जन मॉनीटरिंग उपकरणों की स्थापना नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ सूचना।

संदर्भ :- बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक 115 दिनांक 11/7/2016

-----

1 यह कि, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) के तहत् मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित वैधानिक संस्थान है ।

2 यह कि, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्यप्रदेश में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत नियमों प्रभावी कियान्वयन हेतु विहित प्राधिकारी संस्था है ।

3 यह कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विधि सम्मत बंधनकारी निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं ।

4 यह कि, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संस्थान को जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अपवहन हेतु सीबीडब्ल्यूटीएफ के संचालन हेतु प्राधिकार प्रदान किया गया है ।

5 यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार हेतु व्यवस्थाओं के संचालनकर्ताओं के साथ दिनांक 16/6फ/2015 एवं 17/6/2015 को सुनवाई उपरांत सीबीडबल्यूटीएफ में सतत् उत्सर्जन मापन हेतु ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया था ।

6 यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 22/9/2015 को पत्र के माध्यम से बैठक के कार्यवाही विवरण जारी कर सीबीडबल्यूटीएफ में निम्न व्यवस्था की स्थापना कराये जाने के निर्देश दिये गये थे :-

7 यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 09/8/2016 के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है ।

8 इस संबंध में आपके द्वारा प्रेषित की गई जानकारी से पाया गया है कि संस्थान द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश अनुसार आवश्यक ऑन लाईन मॉनीटरिंग उपकरणों की स्थापना नहीं की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आपका उद्योग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है । इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर बोर्ड के समक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से रख सकता है ।

निर्धारित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने अथवा उत्तर समाधानकारक न होने की दशा में बोर्ड आपके विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।

कृपया पत्र की पावती भेजना सुनिश्चित करें ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

List of CBWTFs

1. **M/s Elite Engineers, 48, Narmada Road, Dist. Jabalpur (M.P.)**

2. **M/s. Bhopal Incinerators Pvt. Ltd., 6/5 H-Sector, Industrial area, Govindpura, Bhopal (M.P.)**

3. **M/s M.P. Bio-medical Wastes Disposal System, Jawahar Chowk, Umaria, Dist. Shahdol (M.P.)**

4. **M/s Davis Surgico, 3, Girraj Market, Lohia Bazar, Gwalior (M.P.)**

5. **M/s People's College of Medical Sciences & Research Centre, Bhanpur - Bhopal (M.P.)**

6. **M/s Bio-Medical Waste Management System, 55-56, Ved Vyas Colony, Ratlam (M.P.)**

7. **Hoswin Incinerator Pvt. Ltd., 196 A, 198 B, Sector-F, Sanwer Road, Indore**

8. **Indo Water Management & Pollution Control Corporation, Operator of Bio-Medical Facility, Vill. Berkheda, Teh. Uchehra, Dist. Satna (M.P.)**

9. **M/s Environment Protection Corporation, Municipal landfill site, Khasra no.1111/1, Kasba, Sehore bypass Road, Sehore (M.P.)**